26/6/25 वकील मामला उप0 / 570453 के संबंधित

दावा अन्तर्गत धारा संहिता अधि की धारा 163.188

अन्तर्गत [illegible] धारा 163.188

[illegible] चलने का कोई औचित्य [illegible] 570453

की धारा कर [illegible] कार्यवाही

[illegible] के [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मामला की [illegible]
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:29:37 IST
Reason: SelfAttested